संख्या-284/2015/4046/नौ-5-2015-145बजट/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊः: दिनांक २ | अगस्त, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-161/एन.ए-4/2015-16 दिनांक 09.06.2015 एवं पत्र संख्या-392/मु.अ./न.आ. 4/2015-16 दिनांक 27.02.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगर निगम, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन में प्रस्तावित कार्यो के सापेक्ष कुल **रू. 394.14 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की कुल धनराशि रू. 196.00 (रू. एक करोड छियानवे लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण एवं शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रू. में)

क्र. सं.	जनपद/ निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	नगर निगम, लखनऊ	चिनहट वार्ड के अन्तर्गत चक्र मल्हौरी में मल्हौर मुख्य मार्ग से श्री ओम गणपति आरा मशीन, इस्लामिया मदरसा होते हुए जैनुल हक के मकान तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य	42.28	
		योग	42.28	21.00
		1. कन्हैया माधोपुर वार्ड के अन्तर्गत फरीदीपुर में लखनऊ पब्लिक स्कूल से फरीदीपुर कब्रिस्तान तक इंटरलाकिंग/नाली का निर्माण	7.85	
		2. कन्हैया माधोपुर वार्ड के अन्तर्गत फरीदीपुर में सुगन ट्रेडर्स से फरीदीपुर कब्रिस्तान बाउन्ड्रीवाल तक इंटरलाकिंग/ नाली का निर्माण	7.89	
		3. कन्हैया माधोपुर वार्ड के अन्तर्गत फरीदीपुर में जे0के0 ट्रेडिंग से वर्मा ट्रेडर्स तक इंटरलाकिंग/नाली का निर्माण	7.80	
		4. कन्हैया माधोपुर वार्ड के अन्तर्गत फरीदीपुर में वर्मा ट्रेडर्स से हसन क्लीनिक तक इंटरलाकिंग/नाली का निर्माण	7.90	
		5 कन्हैया माधोपुर वार्ड के अन्तर्गत फरीदीपुर में हसन क्लीनिक से एशियन ट्रेडर्स तक इंटरलाकिंग/नाली का निर्माण	7.87	
		6. कन्हैया माधोपुर वार्ड के अन्तर्गत फरीदीपुर में एशियन ट्रेडर्स से रिलायन्स प्रापर्टीज तक इंटरलाकिंग/नाली का निर्माण	7.72	
		7. कन्हैया माधोपुर वार्ड के अन्तर्गत फरीदीपुर में रिलायन्स प्रापर्टीज	7.76	

क्र. सं.	जनपद/ निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
		से सांई ट्रेडर्स तक इंटरलाकिंग/नाली का निर्माण		
		8. कन्हैया माधोपुर वार्ड के अन्तर्गत फरीदीपुर में एम0जे0 प्रापर्टीज से फरीदीपुर गॉव तक इंटरलाकिंग/नाली का निर्माण	7.60	
		9. कन्हैया माधोपुर वार्ड के अन्तर्गत फरीदीपुर में हसन क्लीनिक वाली गली तक इंटरलाकिंग/नाली का निर्माण	7.69	
		10. कन्हैया माधोपुर वार्ड के अन्तर्गत फरीदीपुर में जे0के0 ट्रेडर्स के सामने वाली गली तक इंटरलाकिंग/नाली का निर्माण	7.85	
		11. बुद्व विहार बस्ती के अन्तर्गत मस्जिद के सामने से फारूक घोसी तक इंटरलाकिंग /नाली का निर्माण	6.40	
		12. कन्हैया माधोपुर वार्ड के अन्तर्गत फरीदीपुर में एच0यू0 खान के घर से रोशनाबाद मस्जिद मेन रोड तक इंटरलाकिंग/नाली का निर्माण	7.70	
		13. कन्हैया माधोपुर वार्ड के अन्तर्गत फरीदीपुर में रोशनाबाद मस्जिद से कामरान् के घर तक इंटरलाकिंग/नाली का निर्माण	7.41	
		14. कन्हैया माधोपुर वार्ड के अन्तर्गत फरीदीपुर में रोशनाबाद मस्जिद से इश्तियाक हाउस रोशनाबाद कालोनी तक इंटरलाकिंग/ नाली का निर्माण	7.97	
		15. कन्हैया माधोपुर वार्ड के अन्तर्गत फरीदीपुर में रोशनाबाद मस्जिद से रियाज हाउस रोशनाबाद कालोनी तक इंटरलाकिंग/ नाली का निर्माण	7.99	
		16. अशर्फाबाद वार्ड के अन्तर्गत मेन रोड से करूणेश रस्तोगी के घर होते हुए भारती बाल कल्याण परिषद तक इंटरलाकिंग/नाली	7.99	
		17. अशर्फाबाद वार्ड के अन्तर्गत भारती बाल कल्याण परिषद से श्यामसुन्दर टेन्ट हाउस व श्री मैरेज हाल तक इंटरलाकिंग/नाली नि.	7.97	
		18. अशर्फाबाद वार्ड के अन्तर्गत बाल भारती कल्याण परिषद से मन्दिर तक एवं पी0सी0 सक्सेना से सी0एम0एस0 स्कूल तक इंटरलाकिंग/नाली निर्माण	7.98	
		19. अशर्फाबाद वार्ड के अन्तर्गत सी0एम0 एस0 स्कूल के सामने से मन्दिर तक सत्संग भवन होते हुए इंटरलाकिंग/नाली नि	7.97	
		20. अशर्फाबाद वार्ड के अन्तर्गत करूणेश से गोपाल सहाय के मकान तक इंटरलाकिंग/नाली निर्माण	7.64	
		21. अशर्फाबाद वार्ड के अन्तर्गत गोपाल सहाय से सर्वेश कुमार के मकान तक इंटरलाकिंग/नाली निर्माण	7.87	
		22. अशर्फाबाद वार्ड के अन्तर्गत बिठटल सदन व संतोषी मॉ मन्दिर के आसपास तक इंटरलाकिंग/नाली निर्माण	7.99	
		23. अशर्फाबाद वार्ड के अन्तर्गत शिवमन्दिर से मेन रोड तक	7.71	

क्र. सं.	जनपद/ निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
		इंटरलाकिंग/नाली निर्माण		
		24. अशर्फाबाद वार्ड के अन्तर्गत मेन रोड रनदीर सदन से विजय कुमार के घर तक इंटरलाकिंग/नाली निर्माण	7.96	
		25. अशर्फाबाद वार्ड के अन्तर्गत मेन रोड से गिरधारी सिंह स्कूल के बैकसाइड तरफ इंटरलाकिंग/नाली निर्माण (पार्ट-ए)	7.98	
		26. अशर्फाबाद वार्ड के अन्तर्गत मेन रोड से गिरधारी सिंह स्कूल के बैकसाइड तरफ इंटरलाकिंग/नाली निर्माण (पार्ट-बी)	7.74	
		27. अशर्फाबाद वार्ड के अन्तर्गत मेन रोड से गिरधारी सिंह स्कूल के बैकसाइड तरफ इंटरलाकिंग/नाली निर्माण (पार्ट-सी)	7.81	
		28. अशर्फाबाद वार्ड के अन्तर्गत मेन रोड से गिरधारी सिंह स्कूल से शकील खाँ हाउस तक इंटरलाकिंग/नाली निर्माण	7.93	
		29. अशर्फाबाद वार्ड के अन्तर्गत मेन रोड शकील खाँ हाउस से इश्तियाक बंगाली होते हुए गेलैक्सी इंटरप्राइजेज तक इंटरलाकिंग/ नाली निर्माण	7.83	
		30. अशर्फाबाद वार्ड के अन्तर्गत गेलैक्सी इंटरप्राइजेज से मदरसा दारूल उलूम वाया इश्तियाक बंगाली तक इंटरलाकिंग/नाली नि	7.91	
		31. अशर्फाबाद वार्ड के अन्तर्गत गिरधारी सिंह स्कूल के बैकसाइड से मदरसा दारूल उलूम तक इंटरलाकिंग/नाली निर्माण	7.77	
		32. अशर्फाबाद वार्ड के अन्तर्गत कदीर मस्जिद व कब्रिस्तान के सामने शीबा वाली गली तक इंटरलाकिंग/नाली निर्माण	7.78	
		33. लेबर कालोनी वार्ड अन्तर्गत दरियापुर में मेन रोड से हामिद मस्जिद तक इंटरलाकिंग/नाली निर्माण (पार्ट-ए)	7.46	
		34. लेबर कालोनी वार्ड अन्तर्गत दरियापुर में मेन रोड से हामिद मस्जिद व एवरेडी मस्जिद तक इंटरलाकिंग/नाली निर्माण (पार्ट-बी)	7.60	
		35. लेबर कालोनी वार्ड अन्तर्गत दरियापुर में मेन रोड से हामिद मस्जिद मीना बेकरी चौराहा तक इंटरलाकिंग/नाली निर्माण	7.83	
		36. लेबर कालोनी वार्ड अन्तर्गत दरियापुर में मेन रोड मीना बेकरी रोड के सामने से पाल हाउस तक इंटरलाकिंग/नाली निर्माण	7.76	
		37. लेबर कालोनी वार्ड अन्तर्गत दरियापुर में मेन रोड मीना बेकरी रोड के सामने से एवरेडी मस्जिद तक इंटरलाकिंग/नाली निर्मा	7.76	
		38. तिलक नगर वार्ड अन्तर्गत मोहम्मद अली हाउस से आवास विकास कालोनी रोड वाली गली बाकल मिल तक इंटरलाकिंग/नाली निर्माण	7.73	
		39. तिलक नगर वार्ड अन्तर्गत मोहम्मद अली हाउस से मो0 बफाती हाउस व कासिम से नुमान के घर व लल्लू वाली गली तक इंटरलाकिंग/नाली निमार्ण	7.94	

क्र. सं.	जनपद/ निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
		40. तिलक नगर वार्ड अन्तर्गत मकसूद हाउस से सनोज वाली गली व रस्तोगी इंटर कालेज के पीछे तक बाकल मिल में इंटरलाकिंग/ नाली निर्माण	7.75	
		41. तिलक नगर वार्ड अन्तर्गत मो0 मतीन हाउस से कासिम हाउस तक वाया टिल्लू हाउस तक बाकल मिल में इंटरलाकिंग/नाली निर्माण	7.84	
		42. तिलक नगर वार्ड अन्तर्गत ऐशबाग पुलिस चौकी के सामने से टिल्लू, कासिम होते हुए बब्लू वाली गली बाकल मील तक इंटरलाकिंग/नाली निर्माण	7.49	
		43. ऐशबाग वार्ड अन्तर्गत ईदगाह के बगल अजीज मंजिल से म0स0 1 आई.टी. कालोनी तक गली में इंटरलाकिंग का कार्य	7.37	
		44. ऐशबाग वार्ड अन्तर्गत ब्लाक नं0 70 टयूबवेल के सामने इंटरलाकिंग का कार्य	6.92	
		45. ऐशबाग ईदगाह गेट नं. 2 से अजीज मंजिल तक इंटरलाकिंग द्वारा सुधार कार्य	7.70	
		एक प्रतिशत लेबर सेस	3.48	
		योग	**351.86**	**175.00**
		महायोग (1*2)	**394.14**	**196.00**

(रू .एक करोड़ छियानवे लाख मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा नगर निगम, लखनऊ के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/ डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 तथा शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

Yours

7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाया सामग्री/ उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत **'डिस्पले बोर्ड'** पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-03-2016 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
11. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत **लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान'** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-2-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-284/2015/4046(1)/नौ-5-2015-145बजट/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, कलेक्टरेट कोषागार, लखनऊ।
5. महापौर, नगर निगम, लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-21/08/2015

प्रेषण संख्या:- 284

आवंटन आदेश संख्या:- 001-284-2015-4046-9-5-2015-145B-15

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)

80 - सामान्य

191 - नगर निगमों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय सड़क सुधार योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	19600000 114355200	19600000 114355200
	योग	वर्तमान प्रगामी	19600000 114355200	19600000 114355200

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ छियानवे लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया ग्यारह करोड़ तियालीस लाख पचपन हजार दो सौ

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी